न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
08/19	एफएसएस एक्ट, 2006	18/03/2019

1 नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर
—आवेदक

बनाम

1 केशव कुमार गर्ग पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता उम्र 23 वर्ष जाति महाजन निवासी शुक्ला कॉलोनी इनोवेटिव स्कूल के पास वार्ड नं0 25 पोस्ट गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) मैसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी ।

2 हेमराज साहू पुत्र राजेश कुमार साहू निवासी तेलियों का मोहल्ला ,पोस्ट चाकसू जिला जयपुर (फर्म मालिक) मैसर्स राजेश तेल घाणी तेलियों का मोहल्ला ,पोस्ट चाकसू जिला जयपुर।
—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 28.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 02.08.2018 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहां पर केशव कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता उम्र 23 जाति महाजन (फर्म मालिक) की हैसियत से उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया,तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिती में परिसर का निरीक्षण किया दुकान मे विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) के 21 पैक टीन प्रत्येक 15 किलाग्राम का निरीक्षण कर क्रय बिल मांगा , विक्रेता द्वारा मौके पर क्रय बिल की प्रति पेश की। आवेदक ने खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) का नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) के 01 पैक टीन को साईड से छेद कर 02 लीटर रिफाईण्ड सोयाबीन तेल वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 170/– रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) 02 लीटर को 04 भागो मे बराबर–बराबर बांटते हुए 04 कांच की साफ सुथरी शिशियों में भरकर अच्छी तरह बन्द कर, आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार कर जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लीप कमांक एच– 1472 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षरक कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षकर कर चारों नमूने भागो को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् परिसर मे रखे 20 पैक टीन एवं 01 खुले टीन खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) को प्रपत्र 2,3 एवं 4 तैयार कर नियमानुसार सील कर विक्रेता केशव कुमार गर्ग की अभिरक्षा में रखवाया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय में पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सील बन्द कर सील मोहर कर एव दो प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मो0 असलम चतुर्थ श्रेणी कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2018/3236 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 495 /एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/552 दिनांक 31.08.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (केसरी कंचन फ्रेश) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 495 /एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/ 552 दिनांक 31.08.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अति न जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये समन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त खाद्य पदार्थ केसरी कंचन फेश रिफाइण्ड सोयाबीन तेल अभियुक्त सं0 1 द्वारा निर्मित नही किया जात है। अभियुक्त सं0 1 केवल मात्र एक विक्रेता है। उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं0 2 द्वारा निर्मित तेल है जो अभियुक्त सं0 2 द्वारा जिस रूप मे विक्रय हेतु सप्लाई किया जाता है उसी रूप मे अभियुक्त सं0 1 द्वारा अभियुक्त सं0 2 से जरिये बिल खरीदा था जिसकी स्वप्रमाणित प्रति भी प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई थी। आवेदक ने अभियुक्त सं0 1 की दुकान पर आकर अभियुक्त सं0 1 से कई खाली कागजो पर बिना कुछ बताये पुलिस का भय दिखाकर हस्ताक्षर करा लिये जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी से जो केसरी कंचन फेश रिफाइण्ड सोयाबीन तेल के पैक टिन ... तेल लिया था उसका कोई भुगतान अभियुक्त सं0 1 को नही किया गया है। उक्त कार्यवाही मे आवेदक द्वारा ... नियमों की अवहेलना की है, साथ ही वकील अभियुक्त सं0 1 ने अभियुक्त सं0 1 के प्रति नरमी रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 495 /एफएसएसए/कोटा/ एक्ट/ 2018/ ...92 दिनांक 31.08.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही था तो निर्धारित समयावधि मे रेफरल प्रयोगशाला मे जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 30,000 (तीस हजार) एवं अभियुक्त सं0 2 को 60,000 (साठ लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह ... एवं न्याय निर्णय अधिकारी एवं ... उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी, साथ ही अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार सीज खाद्य पदार्थ कुल 20 पैक टीन एवं 01 खुले टीन का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो ... अधिवक्ता या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति मे आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी